न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी
मल्हारगंज क्षेत्र, जिला इन्दौर (म.प्र.)

NAZUL
NOC

क्रमांक / 26 / री–1 / 2019 इन्दौर, दिनांकः– 27 / 06 / 2019

प्रति,

अयोध्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर
तर्फे अध्यक्ष श्री मांगीलाल पिता लक्ष्मीनारायण झंवर
55, मल्हारगंज, इन्दौर

विषय :– ग्राम छोटा बांगड़दा तहसील मल्हारगंज स्थित भूमि सर्वे नं 118 / 1 रकबा 0.592 हे. भूमि के संबंध में नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र।

––00––

उपरोक्त विषय में लेख है कि आवेदक अयोध्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर तर्फे अध्यक्ष की ग्राम छोटा बांगड़दा तहसील मल्हारगंज स्थित भूमि सर्वे नं 118 / 1 रकबा 0.592 हे. भूमि के संबंध में तहसीलदार, मल्हारगंज एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन अनुसार हैः–

1. प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम छोटा बांगड़दा तहसील मल्हारगंज स्थित भूमि सर्वे नं 118 / 1 रकबा 0.592 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में अयोध्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. के नाम पर दर्ज है।
2. प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय नजूल भूमि समाविष्ट नही है।
3. यदि प्रश्नागत भूमि के आसपास नजूल शासकीय भूमि स्थित हो तो उस पर किसी प्रकार का कब्जा / निर्माण नहीं किया जावे।
4. भवन निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी एवं अन्य सभी विभागों से आवश्यक विधिक अनुमतियाँ लेना होगी।
5. नजूल शासकीय भूमि यदि पट्टे पर दी गई है तो पट्टे की शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा।
6. स्वामित्व, सीमा, मार्ग विवाद की स्थिति होने पर प्रतिवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
7. यह प्रतिवेदन केवल शासकीय भूमि (नजूल भूमि) से संबंधित है।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में अथवा स्वामित्व के संबंध न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने एवं सीमा / मार्ग विवाद की स्थिति एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने की दशा में असत्य जानकारी या अस्वच्छ हाथों से प्रस्तुत की जानकारी में यह नजूल प्रतिवेदन स्वमेव निरस्त मानी जावेगी तथा इसकी जवाबदारी आवेदक / स्थानीय संस्था की मानी जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
मल्हारगंज क्षेत्र एवं
नजूल अधिकारी कस्बा इन्दौर